परियोजनाओं की लागतों में वृद्धि

2025. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'आब्जर्वर" दैनिक में "कास्ट ग्राफ 303 प्रोजेक्ट्स एस्कलेट्स 47 परसेंट" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने 100 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं के निर्माण कार्य की निरंतर निगरानी करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए पिछली बार स्वीकृत की गई 72,430 करोड़ रुपए की राशि बढ़कर 106,994 करोड़ रुपए हो गई है ;

(घ) क्या सरकार इन परियोजनाओं की निरंतर निगरानी के बावजूद इनके पूरा होने में हो रहे अत्यधिक विलंब के लिए दिए गए कारणों से संतुष्ट है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार के कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने 100 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की प्रगति का मासिक प्रबोधन करने के लिए एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली की स्थापना की है।

(ग) दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली पर सभी 303 परियोजनाओं की स्वीकृत लागत 72,430 करोड़ रु० से 106,994 करोड़ रु० अर्थात 47.7% तक बढ़ गई है।

(घ) और (ङ) परियोजना उद्यमों द्वारा दिए गए कारणों का संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा गहन परीक्षण किया जाता है। कभी-कभी कारण संतोषजनक होते हैं जैसे संसाधनों की कमी, भूमि अधिग्रहण की समस्या इत्यादि। दिए गए कारणों से संतुष्ट न होने पर, कभी-कभी सरकार भी परियोजना उद्यमों को व्यर्थ हुए समय की पूर्ति के लिए पूर्ति योजना बनाने का निर्देश देती है। अधिक विलंब होने से बचने हेतु एक उद्यम के नियंत्रण से परे समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार में विभिन्न स्तरों पर सुविधाजनक कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी लाने का लक्ष्य

2026. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री वीरेन जे० शाह :
श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में कुल जनसंख्या के 28 से 30 प्रतिशत लोगों के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे होने का अनुमान लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसे कम करके 18 से 28 प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या का आकलन योजना आयोग द्वारा उन वर्षों के लिए किया जाता है जिसके लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय पर किये गये पंचवार्षिक सर्वेक्षण

के परिणाम उपलब्ध होते हैं। वह अंतिम वर्ष 1987-88 है जिसके लिए घरेलू उपभोक्ता व्यय पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण आंकड़े उपलब्ध हैं। इन सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता देश की जनसंख्या का 29.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए परिव्ययों को पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है; आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गरीबी के लिए अनुमान का ब्यौरा नहीं दिया गया है।

सहकारिता के आधार पर वनरोपण के लिये कनाडा द्वारा सहायता

@2027. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा से सहकारिता के आधार पर भारत सरकार को वनरोपण के लिये 46 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है;

(ख) इस राशि के उपयोगहेतु सरकार द्वारा देश में चुने गए क्षेत्रों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) यह योजना उन क्षेत्रों में कब तक और किस अभिकरण के माध्यम से लागू की जाएगी; और

(घ) इन क्षेत्रों के चयन के मानदण्ड क्या-क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (परती भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) जी, हां। 20 मिलियन कनाडाई डालर मूल्य की एक परियोजना सहायता की सहायता से गांवों के वृक्ष उत्पादक सहकारी ढांचे को सुदृढ़ बना कर बंजर भूमि को पुनः उत्पादक बनाने के भारत के प्रयासों में सहयोग देने के लिये कनाडा सरकार और भारत सरकार के बीच एक सहमति पत्र पर 17 मार्च, 1993 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) परियोजना को आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के चुने हुए जिलों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(ग) मोटे तौर पर, परियोजना की अवधि 1993 से आरम्भ होकर छः वर्ष के लिये होगी। परियोजना के राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय वृक्ष उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, आनन्द, गुजरात द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

(घ) परियोजना जिलों के चयन के मानदण्ड ईंधन की लकड़ी और चारे की कमी, राज्य सरकार की वृक्ष उत्पादक सहकारी समितियों को राजस्व बंजर भूमि को तेजी से पट्टे पर देने की तत्परता है।

DWCRA Scheme for Kanyakumari

2028. SHRI S. AUSTIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to start a scheme under DWCRA (Development of Women and Children in Rural Areas) in Kanyakumari which has large number of educated women;

(b) if so, by when; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAM BHAI H. PATEL): (a) At present there is no proposal with Government to start DWCRA in Kanyakumari district.

(b) It is proposed to cover all the districts in the country under DWCRA by the end of VIIIth Five Year Plan.

(c) Not applicable.

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 1058, 5 मई, 1993 से स्थानांतरित।